

डिग्री व मुकदमें ईन्दादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-श्री मांगीलाल, आर.ए.एस.

मिसल नं० - 283/2020,
अनवान :-

1. गुरदास सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी लौहगढ़ तहसील डबवाली जिला सिरसा
2. प्रकाश सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी लौहगढ़ तहसील डबवाली जिला सिरसा

—वादीगण

- बनाम
1. जरनैल सिंह पुत्र सुरजाराम उर्फ दसोंदा सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी लौहगढ़ तहसील डबवाली जिला सिरसा
 2. वीरपाल कौर पुत्री जरनैल सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी लौहगढ़ तहसील डबवाली जिला सिरसा
 3. छिन्द्र कौर पत्नी जरनैल सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी लौहगढ़ तहसील डबवाली जिला सिरसा

— प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल, आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल सिडाना, वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री अंकित सिडाना, मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीगण चक नम्बर 5 के.एच.आर. जमाबंदी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या-282/48 प0न0 236/202 (5) कि0न0 3, सालम, कि0न0 7/1/0.129 है0, कि0न0 8 सालम, कुल तादादी 0.635 है0 के बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं, एवं प्रतिवादी संख्या-1 का नाम कलमजन किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहनमुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहनमुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निज..X..निल.....X...मुब्लिक..X..निल.....X....बाबत..X..निल.....X...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।
बसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से दिनांक 23.12.2020 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



hira
hira
(मांगीलाल)
23.12.2020
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी